

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर  
जिला चित्तौडगढ  
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 22 / 2015

दायर दिनांक 09.09.2015

उनवान		
बंशीलाल	बनाम	पारसनाथ

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188, आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 20.12..2022

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई एवं वकील वादी उपस्थित। वादीगण ने प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र में तकनीकी कमी रह जाने के कारण वाद में संशोधन किया जाना संभव नहीं है, जिससे नया वाद पत्र पेश करना आवश्यक है। अतः मूल दस्तावेज लौटाये जाकर नया वाद पेश करने की स्वीकृति के साथ वाद ड्रॉप किया जावे। वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री आसिफ इकबाल ने की। अतः वादपत्र विड्रॉ किया जाने बाबत् प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल दस्तावेज लौटाये जाकर नया वाद पेश करने की स्वीकृति के साथ प्रस्तुत वाद ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(भावना सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
भूपालसागर

